छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,डी.के.एस.भवन, रायपुर

क्रमांक/ H198 /2007/18 रायपुर दिनांक 02/08/07

प्रति,

1 समस्त कलेक्टर एवं
अध्यक्ष (डूडा), छत्तीसगढ़

2 समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़

3 समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,छत्तीसगढ़

विषयः— राज्य प्रवर्तित योजनां के अंतर्गत **"हाट बाजार समृद्धि का आधार"** योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत **"हाट बाजार समृद्धि का आधार"** योजना प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर निकाय क्षेत्रांतर्गत योजना का क्रियान्वयन तत्काल प्रारंभ करें।

2. राज्य शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय के अंतर्गत एक **"हाट बाजार समृद्धि का आधार"** निर्माण का भौतिक लक्ष्य रखा गया है।

3. इस योजना का निर्माण कार्य 31 मार्च 2008 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(सी.के.खेतान)
सचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय, रायपु

क्रमांक: /1488/18/2007 रायपुर, दिनांक जुलाई 2007
2-8-07

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, रायपुर।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन को सूचनार्थ।
4. विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीगढ़ शासन।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ, रायपुर।
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर/बिलासपुर संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

हाट बाजारः समृद्धि का आधार योजना

दिशा–निर्देश

1 नाम तथा विस्तारः– इस योजना का नाम "हाट बाजारः समृद्धि का आधार" योजना होगा तथा यह योजना प्रदेश की सभी निकायों में वर्ष 2007–08 से लागू होगी।

2 उद्देश्यः– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविका पार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादक वस्तुओं के सुलभ विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हॉट बाजारः की व्यवस्था प्रचलित हैं।

इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए तथा अधोसंरचना बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाए जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे का निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन का निर्माण किया जाए।

3 **योजना का स्वरूप** :– यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू की जावेगी जिसके अंतर्गत एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित कर शहर के आसपास में रहने वाले, सब्जी–उगाने वाले किसानों के लिए आरक्षित किया जावेगा जिससे वह अपनी उपज सीधे–सीधे आकर खुदरा/चिल्हर बेच सके। राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा, जबकि जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा किया जावेगा। इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को निम्नांकित मापदण्ड के अनुसार अनुदान दिया जावेगा।

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	परियोजना लागत राशि
1.	नगर पालिक निगम	100.00 लाख रू.
2.	नगर पालिका परिषद्	70.00 लाख रू.
3.	नगर पंचायत	40.00 लाख रू.

इस योजना का आदर्श प्राक्कलन एवं ड्राइंग दिशा–निर्देश के साथ संलग्न है। स्थल अनुसार विनिर्दिष्ट विशेषताओं के अनुरूप विभिन्न सीमा के अंतर्गत आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

4 **स्थल चयनः**– निकाय द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला के राजस्व अधिकारियों से संपर्क करके स्थल का चयन किया जावेगा, स्थल का आकार निम्नानुसार होगा :–

1	नगर पालिक निगम हेतु	–	2 हेक्टेयर (5 एकड़ का क्षेत्र)
2	नगर पालिका परिषद् हेतु	–	1 हेक्टेयर (2.5 एकड़ का क्षेत्र)
3	नगर पंचायत हेतु	–	0.40 हेक्टेयर (1 एकड़ का क्षेत्र)

स्थान के संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शहर के सभी क्षेत्रों से स्थल सुगमता से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ हो। पूर्व में संचालित हाट बाजार स्थल का भी उपयोग किया जा सकता है।

5 **योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था** :– निकाय को योजना के क्रियान्वयन हेतु शत्–प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। निकाय अपनी आय बढ़ाने की दृष्टि से तथा इनके रखरखाव/संधारण हेतु उपयोग करने वाले किसानों से बाजार बैठकी की राशि के रूप में कुछ राशि वसूल सकती है। निकायों को नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि सर्वप्रथम राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ को लौटायी जावेगी जिसमें लाभ की राशि निकायों को रखने का अधिकार होगा।

6 **चबूतरा आबंटन प्रक्रियाः**– योजना के अंतर्गत निर्मित चबूतरों को आबंटन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए चबूतरे नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम के अनुरूप आरक्षित किये जाएंगे इस समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

- संबंधित नगरीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष
- संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
- पुलिस अधीक्षक का एक प्रतिनिधि
- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सक्षम अधिकारी
- जिला शहरी विकास अभिकरण का परियोजना अधिकारी

हितग्राहियों का चयन इसी समिति के द्वारा किया जाएगा। चयनित सूची के अनुसार आबंटन आदेश आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। छोटी नगरीय निकायों में चयन समिति की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा की जा सकेगी।

7 निकाया द्वारा योजना का प्रस्ताव महापौर/अध्यक्ष परिषद् से अनुमोदन उपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया जाएगा।

8 अन्य शर्तें:–

- आबंटित व्यक्ति चबूतरों में व्यवसाय स्वयं चलायेंगें, किसी अन्य को किराये पर नहीं देंगे।
- यदि किसी आबंटित व्यक्ति को चबूतरा की आवश्यकता न हो उसे चबूतरा नगरीय निकाय को वापस लौटानी होगी।
- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय को चबूतरा रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा।
- एक परिवार से एक व्यक्ति को ही आबंटन किया जाएगा।

9 लेखा का संधारण:– राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखा का संधारण किया जाएगा तथा निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया जाएगा, प्रथम किश्त की राशि 70 प्रतिशत उपयोगिता के आधार पर किश्तों का निर्गमन किया जा सकेगा। जिला शहरी विकास अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित निकाय में व्यय राशि न्यूनतम हो और राशि का किसी प्रकार से दुरूपयोग या अन्यथा उपयोग न किया जावे।

इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जावेगी, जिसका परिचालन आयुक्त, नगर पालिक निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जैसी स्थिति हो) तथा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

(सी.के.खेतान)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग